



# MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

E-mail: vc@mggau.ac.in www.mggau.ac.in

Office No. 0551-2989819

Ref. 230-2022-23 (7)

Date: 18/07/22

## सम्बद्धता आदेश

असधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 420/79-वि 1 20 1 (क) 8-2020 लखनऊ दिनांक 12/03/2020 का संशोधित असधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 76/79 वि 1-21-2 (क)-1-2021 लखनऊ दिनांक 09/01/2021 का महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम-2020 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कॉलेज कोड संख्या AULA037 बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, झांसी, द्वारा आनलाइन भरे गये सम्बद्धता फार्म के आधार पर, मा० कार्य परिषद की सहमति की प्रत्याशा में, निम्नलिखित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट
1.	बी.ए.एम.एस.	75 (ई.डब्ल्यू.एस. सहित)

सम्बद्धता की शर्तें निम्नवत् होंगी -

1. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.), आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा एन.सी.आई.एस.एम. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट तथा प्रवेश अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत होने वाले परिणियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
5. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं शिष्यों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समन्यान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेंगे।
7. संस्था द्वारा एन.सी.आई.एस.एम. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

18/7/22  
(आर०वी० सिंह)  
कुलसचिव

(7)

पत्रांक: 230-2022-23

दिनांक: 18 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, लखनऊ।